(2019) 5 एस.सी.आर. 829

नगरपालिका परिषद थानेसर

बनाम

वीरेन्द्र कुमार आदि।

(सिविल अपील संख्या–1751–1763/2019) 19 फरवरी, 2019

(उदय उमेश ललित और डाक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा–31(7)(a) और (b)–ब्याज–डिक्रीदारों को धारा–31(7)(a) और (b) के अन्तर्गत सांविधिक लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं–अभिनिर्धारितः डिक्रीदारों–उत्तरदातागण अधिनियम की धारा–31(7) (b) के संदर्भ में पंचाटोत्तर ब्याज पाने के हकदार हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: पंचाट का निष्पादन–मध्यस्थता पंचाट में दिया गया ब्याज–पंचाट में, यह विशेष रूप से नहीं कहा गया था कि ब्याज 7 प्रतिशत वार्षिक दर से त्रैमासिक बकाया के साथ दिया जाना था–वास्तव में, पंचाट में कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था; चाहे वह त्रैमासिक बकाया हो या वार्षिक बकाया–इसमें केवल 7 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज दिया गया–निष्पादन न्यायालय ने इसे वार्षिक बकाया के साथ रखा, जिसे उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा किये गये पुनरीक्षण में त्रैमासिक बकाया के साथ संशोधित किया गया–अपील पर, अभिनिर्धारित: निष्पादन न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पूरी तरह से गलती की और पंचाट के समय उत्तरदाताओं के पक्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दिया, जबकि पंचाट में निर्धारित किया गया था, यह 7 प्रतिशत की दर से वार्षिक होगा। सरलीकरण–पंचाट में दूर–दूर तक यह सुझाव नहीं दिया गया कि ब्याज का ऐसा पंचाट इस दिशा में होगा कि ब्याज की वार्षिक या त्रैमासिक आधार पर पंजीकृत किया जायेगा–यह 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का शुद्ध और सरल पंचाट था और इसे चक्रवृद्धि ब्याज पंचाट देने की दिशा के रूप में नहीं लिया जा सकता है–परिणामस्वरूप, संबंधित धनराशि पर पंचाट पूर्व ब्याज की गणना 7 प्रतिशत वार्षिक

साधारण ब्याज की दर से की जायेगी–मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,1996–धारा–31(7)(ए) और (बी)।

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया : 1. पहला मुद्दा यह है कि डिक्रीदार अधिनियम की धारा–31(7)(ए) और (बी) के तहत वैधानिक लाभ के हकदार थे, डिक्रीधारकों/उत्तरदाताओं के पक्ष में सही उत्तर दिया गया था। यह प्रश्न अब शेष नहीं है।

829 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस् (2019) 5 एस.सी.आर.

हैदर कंसल्टिंग मामले में समग्रता में और स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर दिया गया है। [पैरा 5.2 7[833–F; 834–B–C]

हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम गवर्नर, उड़ीसा राज्य

द्वारा मुख्य अभियंता (2015) 2 एससीसी 189–पर भरोसा किया गया।

2. जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, निष्पादन न्यायालय ने सही ढंग से विवेचित किया कि पंचाट में यह नहीं बताया गया कि ब्याज 7 प्रतिशत प्रति वार्षिक की दर से त्रैमासिक बकाया के साथ दिया जाना था। निष्पादन न्यायालय ने पाया कि यह संदिग्ध था कि पंचाट में ब्याज त्रैमासिक बकाया के साथ 7 प्रतिशत था या वार्षिक बकाया के साथ। निष्पादन न्यायालय ने इसे वार्षिक बकाया के साथ रखा, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा किये गये पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने त्रैमासिक बकाया में बदल दिया, निष्पादन न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पूरी तरह से गलती की और उत्तरदाताओं के पक्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, जबकि पंचाट में निर्धारित किया गया कि यह 7 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण होगा। पंचाट में दूर–दूर तक यह सुझाव नहीं दिया गया कि ऐसे पंचाट में ब्याज इस निर्देश के साथ होगा कि ब्याज को वार्षिक या त्रैमासिक आधार पर पूंजीकृत किया जायेगा। यह 7 प्रतिशत की दर से ब्याज का शुद्ध और सरल पंचाट था और इसे चक्रवृद्धि ब्याज देने का निर्देश नहीं माना जा सकता था। परिणामस्वरूप, विचाराधीन राशि पर पंचाट पूर्व ब्याज की गणना 7 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से की जायेगी। उत्तरदातागण

अधिनियम की धारा–31(7)(बी) के अन्तर्गत लाभ में हकदार होंगे और पंचाटोत्तर ब्याज भी 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा। [पैरा 8–12] [834–C–D; 835–F–G; 835–A–B]

निर्णयज विधि का संदर्भ

(2015)2 एससीसी 189 के पैरा 6 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या–1751–1763/2019

चडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित–03.03.2017 से C.R. No. 6765/2015 (O&M), C.R. No.5198/2015 (O&M) से C.R. No.5205/2015 (O&M), C.R. No.5510/2015 (O&M) से C.R. No.5512/2015 (O&M) और C.R. No.4253/2015 (O&M)

2019 की सिविल अपील संख्या–1443–1444 के साथ नगर पालिका परिषद थानेसर बनाम वीरेन्द्र कुमार आदि।

अपीलकर्ताओं के लिए अजय मजीठिया, शेखर कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता ए. तिवारी, सुश्री एलिजा बार, श्री पाल सिंह, राजू मणि तालुकदार, अनुपम रैना, सौरव त्रिवेदी, सुनंदो राहा, रक्तिम गोगोई, कार्तिकेय सिंह, सर्ववसा छाजेर, अनुपम लाल दास, चरितार्थ पल्ली, शुभम भल्ला, अधिवक्ता।

उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का आदेश सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. ये अपीले C.R. No.6765/2015 (O&M), 5198/2015 (O&M), 5199/2015(O&M),5200/2015(O&M),5201/2015(O&M),

5202/2015(O&M), 5203/2015(O&M), 5204/2015(O&M), 5205/2015(O&M), 5510/2015(O&M), 5511/2015(O&M), 5512/2015(O&M) और 4253/2015(O&M) चंडीगढ़ में हरियाणा और

4

पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित – 03.03.2017 को चुनौती देती हैं।

3. दुकानों/शोरूम की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में, नीलामी 18.10.2016 को अपीलकर्ता द्वारा आयोजित की गयी, जिसमें उत्तरदाताओं ने भाग लिया और सफल बोलीदाता घोषित किये गये। इसके बाद, पार्टियों के बीच विवाद पैदा हो गया कि क्या नीलाम किया गया परिसर प्रासंगिक तिथियों पर वितरित करने के लिए तैयार था; क्या निर्माण अधूरा था; और क्या नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी या नहीं? 2008 के सीडब्लूपी संख्या– 13548,,1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1062, 14793 और 2009 के 19228 नामक विभिन्न रिट याचिकाओं के द्वारा मामले उच्च न्यायालय में पहुंचे और दिनांक–14.07.2010 के एक सामान्य आदेश द्वारा विवादों को एक मात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया गया। मामलों पर विचार करने के बाद, मध्यस्थ ने दिनांक–14.10.2010 को एक सामान्य पंचाट पारित किया गया। पंचाट का पैरा 21 इस प्रकार थाः–

"21. उपरोक्त निष्कर्षों के मदद्देनजर, प्रतिवादियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 10,000/– रूपये (केवल दस हजार रूपये) की लागत का पंचाट पारित किया गया है और नगरपालिका परिषद, थानेसर को सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कच्चा घर, थानेसर में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य एक माह के भीतर पूरा किया जाये। यदि पूरा हो चुका है तो एक सप्ताह के भीतर संबंधित दुकानों का कब्जा और अनुबन्ध निष्पादित करने के लिए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया जाये। नगर पालिक परिषद को अग्रिम किराये पर ब्याज देने के साथ–साथ गैर–वापसी योग्य प्रतिभू पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रस्तावित दर पर ब्याज देने का निर्देश दिया गया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस् (2019)5 एस.सी.आर.

याचिकाकर्ताओं/आवंटियों को भौतिक/कब्जा सौंपे जाने तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। याचिकाकर्ताओं को कब्जे की डिलीवरी तक

5

गैर–वापसीयोग्य प्रतिभू पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ हर्जाना भी दिया जाता है, क्योंकि दुकानों का काम पूरा होने और कब्जा सौंपने में देरी के कारण उन्हें मानसिक रूप से और साथ ही व्यवसाय का नुकसान हुआ है। अपेक्षित स्टांप पेपर सप्ताह के भीतर दाखिल किये जायें।"

4. अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा–34 के तहत आपत्तियां दर्ज की, जिन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दिनांक –15.09.2012 को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने व्यथित होकर प्रथम अपील प्रस्तुत किया, जिसे पंजाब और

हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक–17.01.2014 को खारिज कर दिया। इस न्यायालय द्वारा भी दिनांक–04.08.2014 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15550/2014 को खारिज करके उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गयी थी। इस प्रकार पंचाट में जारी निर्देश अंतिम हो गये।

5. उत्तरदाताओं द्वारा की गयी निष्पादन कार्यवाही में, निष्पादन न्यायालय ने दिनांक–23.03.2015 के अपने आदेश में मामले को निम्नानुसार निपटायाः–

"5. पंचाट दिनांकित–14.10.2010 के अनुसार मध्यस्थ ने निर्णीत ऋणी अर्थात नगरपालिका परिषद, थानेसर को किराये के रूप में दी गयी अग्रिम धनराशि के साथ–साथ गैर–वापसीयोग्य प्रतिभू पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर अर्थात 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से याचिकाकर्ताओं/आवंटियों को भौतिक/कब्जा सौंपे जाने तक दिये जाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं को कब्जे के परिदान तक गैर–वापसीयोग्य प्रतिभू पर 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में क्षतिपूर्ति दिया गया। यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि एक निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे नहीं जा सकती। दिनांक–14.10.2010 के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि डिक्रीधारक को अग्रिम किराये के साथ–साथ गैर–वापसीयोग्य प्रतिभू पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया है।" "

"पंचाट में उल्लिखित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रस्तावित ब्याज की दर" को निरंतरता से पढ़ा जाना चाहिए और इसे एक अलग अर्थ देने के लिए अलग नहीं

किया जा सकता है। पंचाट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्यस्थ द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर वही दर है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दी जाती है। ब्याज की गणना के तरीके के बारे में पंचाट मौन है। पंचाट की यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि ब्याज की गणना का तरीका एक राष्ट्रीय बैंक के मानदण्डों के अनुसार होना चाहिए। नगरपालिका परिषद थानेसर बनाम वीरेन्द्र कुमार आदि (न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित)

इस पंचाट की व्याख्या अग्रिम किराये पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज और त्रैमासिक बकाया के साथ गैर–वापसीयोग्य प्रतिभू की गणना के रूप में करने का अर्थ यह होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान मध्यस्थ का आशय ऐसा नहीं है, क्योंकि यह विशेष रूप से नहीं बताया गया था। 6. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा– निर्देशों के अनुसार भी राष्ट्रीयकृत बैंकों को घरेलू बचत जमा खातों पर तिमाही अंतराल पर या अधिक समय देकर ब्याज देने की छूट दी गयी है। माना जाता है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपनी ब्याज दर होती है और वे छोटी या लम्बी अवधि की छूट देकर गणना का तरीका निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दिनांक–14.10.2010 के फैसले में विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिये गये किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में, फैसले में कोई और व्याख्या संभव नहीं है और ब्याज की दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष पढ़ी जानी है, जिसकी गणना वार्षिक अन्तराल के आधार पर की जानी है। पंचाट दिनांक–14.10.2010 के अनुसार, ब्याज की गणना केवल कब्जा देने तक की जानी है। संबंधित दुकानों का कब्जा डिक्रीधारकों को पहले ही सौंपा जा चुका है।"

5. अपीलकर्ताओं ने क्षुब्ध होकर, उच्च न्यायायल में उपरोक्त सिविल पुनरीक्षण दायर किया, जिसका निस्तारण दिनांक–03.03.2017 को किया गया। विचार के लिए जो प्रश्न उठे, उन्हें उच्च न्यायालय ने इस प्रकार तैयार किया:–

"दो प्रश्न जो इस न्यायालय में विचाराधीन हैं, वे हैं; (i) क्या डिक्रीदार अधिनियम की धारा–31(7)(ए) और (बी) के तहत संविधिक लाभ पाने के हकदार हैं; और (2) क्या डिक्रीदार याचिकाकर्तागण राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रस्तावित

7

ब्याज दर पर, अग्रिम किराये की राशि और गैर–वापसीयोग्य प्रतिभू पर ब्याज की धनराशि की गणना करने का हकदार भी है अर्थात् 7 प्रतिशत प्रति वर्ष, त्रैमासिक बकाया के साथ।"

हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम गवर्नर, मामले में बहुमत के दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए, उड़ीसा राज्य द्वारा मुख्य अभियंता, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओ के पक्ष में पहले मुद्दे का उत्तर दिया और निष्कर्ष निकाला कि वे अधिनियम की धारा–31(7) (बी) के संदर्भ में पंचाटोत्तर ब्याज के हकदार थे। दूसरे मुद्दे के संबंध में, यह अवधारित किया गया कि उत्तरदातागण 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से त्रैमासिक बकाया के साथ भी ब्याज पाने के हकदार हैं। (2015) एस.सी.आर.189 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट (2019)5 एस.सी.आर. उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण वर्तमान में चुनौती के अधीन है।

6. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय मजीठिया और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण श्री ए. तिवारी, श्री अनुपम रैना, श्री रक्तिम गोगोई और चरितार्थ पल्ली को सुना।

7. पहले मुद्दे का उत्तरदाताओं के पक्ष में सही उत्तर दिया गया था। प्रश्न अब एकीकृत नहीं है और न्यायमूर्ति बोबडे के फैसले के पैरा 10 और हैदर कंसल्टिंग(सुप्रा)में न्यायमूर्ति स्प्रे के निर्णय के पैरा 27–28 में स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर दिया गया है। इस मसले पर हाई कोर्ट ने जो राय रखी है, वह बिल्कुल सही है।

8. दूसरे मुद्दे के संबंध में, निष्पादन न्यायालय ने सही ढंग से विवेचित किया कि पंचाट में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज त्रैमासिक बकाया के साथ दिया जाना था। वास्तव में, पंचाट में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया गया: चाहे वह त्रैमासिक बकाया हो या वार्षिक बकाया। इसमें केवल 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया। चूंकि पंचाट उस पहलू पर पूरी तरह से मौन था, निष्पादन के स्तर में, पंचाट में जारी किये गये प्रवर्तन निर्देशों में कोई जोड़ व बदलाव नहीं किया जा सका। पंचाट में तीन स्तरों पर चुनौतियां देखी

8

गयी और उनमें से किसी भी चरण में, पंचाट के संचालनात्मक (प्रवर्तन) निर्देशों में कोई संशोधन नहीं किया गया।

9. निष्पादन न्यायालय ने पाया कि यह संदिग्ध था कि पंचाट का ब्याज त्रैमासिक बकाया या वार्षिक बकाया के साथ 7 प्रतिशत था। वास्तव में, स्थिति अधिक मौलिक थी, कि क्या कोई चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था। निष्पादन

न्यायालय ने इसे वार्षिक बकाया के साथ रखा, जिसे उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद किये गये पुनरीक्षण में त्रैमासिक बकाया के साथ संशोधित किया। हमारे विचार में, निष्पादन न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पूरी तरह से गलती की और उत्तरदाताओं के पक्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का फैसला सुनाया , जबकि फैसले में इसे 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की सरल दर निर्धारित किया गया था। पंचाट में दूर–दूर तक यह सुझाव नहीं दिया गया कि ब्याज का ऐसा पंचाट इस निर्देश के साथ होगा कि ब्याज को वार्षिक या त्रैमासिक आधार पर पूंजीकृत किया जायेगा। यह 7 प्रतिशत की दर से ब्याज का शुद्ध और सरल पंचाट था और इसे चक्रवृद्धि ब्याज देने का निर्देश नहीं माना जा सकता था।

10. इसलिए, हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गयी दलील को स्वीकार करते हैं अपीलकर्ताओं को दूसरे मुद्दे के संबंध में निर्देश दिया गया है कि निर्देश जारी किया जाये, पंचाट के पैरा 21 को 7 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज माना जाये। नगरपालिका परिषद थानेसर बनाम वीरेन्द्र कुमार आदि (न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित)

11. परिणामस्वरूप, प्रश्नगत धनराशि पर पंचाट पूर्व ब्याज 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना की जायेगी। उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा–31(7) (बी) के अन्तर्गत लाभ पाने के हकदार होंगे और पंचाटोत्तर ब्याज भी 7 प्रतिशत प्रति वर्ष–साधारण ब्याज की दर से होगा।

12. उपरोक्त संशोधन के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। हर्जा देने का कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

पुनरीक्षित द्वारा– दिनेश प्रताप सिंह, [J.O.Code–UP1531], अपर सत्र न्यायाधीश, संतकबीर नगर।